रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 225] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 1972/भाद्र 7, 1894

No. 225] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 1972/BHADRA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August 1972

G.S.R. 395(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, as continued in force by sub-section (2) of section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Vegetable Oil Products Controller for India makes the following Order to amend the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1972, No. G.S.R. 87(E), dated the 19th February, 1972, namely:—

1. (1) This Order shall be called the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force on the 1st September, 1972.

2. In clause 2 of the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1972,—

(i) in sub-clause (1), in para (a), item (vi) shall be omitted;

(ii) in sub-clause (2), for para (a), the following para shall be substituted, namely:—

"(a) The product shall contain not less than 10.0 per cent by weight of one or more of the following refined vegetable oils, namely:—

(i) Refined safflower (kardiseed) oil.

(ii) Refined sesame oil,

(iii) Refined sunflower oil.

Provided that the content of refined sesame oil shall not be less than 5.0 per cent by weight, but sufficient to ensure that the product conforms to the specifications for Baudouin Test prescribed under sub-clause (7)";

(iii) in sub-clause (7), for item (vi), the following item shall be substituted, namely:—

"(vi) Baudouin test (as described in Note II below):

Not less than 2.0 red units"

[No. 2-VP(8)1/70.]

S. V. SAMPATH,
Vegetable Oil Products Controller for India.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1972

सा० का० नि० 395(अ)—वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त बना हुआ है, के खंड 4 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक एतद्द्वारा वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश, 1972 सं० सा० का० नि० 87 (ई) तारीख 19 फरवरी, 1972 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) संशोधन आदेश, 1972 है ।

(2) यह 1 सितम्बर, 1972 को प्रवृत्त होगा ।

2. वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश, 1972 के खण्ड 2 में,—

(i) उपखंड (1) के पैरा (क) में, मद (4) लुप्त कर दी जाएगी ;

(ii) उपखंड (2) में, पैरा (क) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

"(क) उत्पाद में निम्नलिखित एक या एक से अधिक परिष्कृत वनस्पति तेल वजन के 10 प्रतिशत से अन्यून में होंगे, अर्थात :—

(i) परिष्कृत कुसुम्भ (करड़ी) तेल,

(ii) परिष्कृत तिल्ली का तेल ,

(iii) परिष्कृत सुरजमुखी का तेल :

परन्तु परिष्कृत तिल्ली के तेल की मात्रा वजन के 5 प्रतिशत से अन्यून होगी, परन्तु जो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हो कि उत्पाद उप खन्ड (7) के अधीन विहित बोडोहन परीक्षन के लिए विनिर्देशों के अनुरूप है । ;

(iii) उपखंण्ड (7) में, मद (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात :—

(vi) बोडोहन परीक्षण (नीचे टिप्पण 11 में यथावर्णित)

2.0 लाख यूनिटों से अन्यून"

[सं० 2 वीपी (8) 1/70]

एस० बी० सम्पथ, भारत के वनस्पतिक तेल उत्पाद नियन्त्रक ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972